आदेश की कम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कारवाई के बारे टिप्पणी तारीख व साथ

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 107/12–13

प्रभा शंकर वनाम् वीरेन्द यादव एवं अन्य

आदेश

12.06.15

आवेदक प्रभा शंकर पिता स्व० रामपति शर्मा साकिन–खोखडी, थाना–अरवल जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि का नापी कराकर कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि जो मौजा–ताजपुर विशुनपुर, थाना नं० 91 अंचल–अरवल, जिला–अरवल में अवस्थित निम्न है:–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
169	510	कुल रकवा में 5 फीट X 50 फीट	उतर–नीज (आवेदक), दक्षिण–विपक्षी, पूरब–नथुनी सिंह एवं दीनानाथ सिंह, पश्चिम–नं० हाजा (सुरेश मिस्त्री)

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षीगण की उपस्थित हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षीगण उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

सुनवाई के उपरान्त विवादित भूमि की नापी सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त श्री वशिष्ठ नारायण से करायी गयी। नापी प्रतिवेदन पर विपक्षी के आपत्ति के उपरान्त विवादित भूमि की नापी सर्वे जानकार अमीनो की एक टीम, अधिवक्ता आयुक्तों श्री वशिष्ठ नारायण वो श्री प्रभाष चन्द्र महाराज एवं अंचल अमीन अरवल श्री रवि शंकर सिन्हा से करायी गयी और नापी प्रतिवेदन को संपुष्ट किया गया।

विवादित भूमि कुल रकवा 13 डी० आवेदक को बाबू सुखदेव नारायण सिंह साकिन ईटवा से 15 मार्च 1932 को जमीन्दारी हुकुमनामा से प्राप्त है जिसपर आवेदक का वर्षो पूर्व से मकान निर्मित है तथा कुछ अंश परती है जो कि विवादित भूमि है। विवादित भूमि को लेकर एक वाद वाद संख्या 1138/12 धारा 107 द० 491/13 प्र० सं० प्रभा शंकर वनाम् वीरेन्द्र यादव वगैरह अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल के न्यायालय में चला था जिसमें विपक्षीगण को 5–5 हजार रूपया बंध पत्र लेकर प्रतिबंधित किया गया था।

सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की टीम ने विवादित भूमि को

प्लॉट नं० 511 पर बने विपक्षी के मकान के पूरब मकान के पीलर (दीवार) के उत्तर पूरब कोण से $1\frac{1}{2}$ कड़ी पर पाया।

अतः प्राधिकार एक माह के उपरान्त आवेदक को विपक्षी के मकान के दीवार के उत्तर पूरब कोण से $1\frac{1}{2}$ कडी भूमि छोडकर शेष विवादित भूमि पर कब्जा लेने का आदेश देती है। साथ ही अंचल अधिकारी, अरवल को भी आदेश दिया जाता है कि आवेदक के उपरान्त भूमि के कब्जा लेने में विपक्षीगण यदि व्यवधान उत्पन्न करते है तो वे आवेदक को कब्जा दिलायें। नापी प्रतिवेदन आदेश का एक अंश माना जाएगा। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

12.06

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

12.06

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।